महिला संगठनों का
प्रधान मंत्री के नाम
मांग-पत्र

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 1990 पर अनेक महिला संगठनों ने प्रधान मंत्री के नाम भेजे मांग-पत्र में मांगों के अलावा अपने नजरिये से रचनात्मक नीचे लिखे मुख्य सुझाव भी दिए––

विकास कार्यक्रम संबंधी

1. सरकारी योजनाओं को कारगर बनाने के लिए स्त्रियों के अधिकार व विकास-संबंधी समिति को ग्राम पंचायत की स्त्री प्रतिनिधियों को साथ लेकर कार्यशील होना चाहिए। समिति को खास-तौर से यह देखना चाहिए कि योजनाएं ठीक तरह लागू होती हैं।

2. पंचायत में औरतों के लिए 30 फी सदी प्रतिनिधित्व में जनजाति और गरीबतम औरतें भी शामिल की जाएं।

3. खेती, ग्राम विकास, उद्योग-धंधों, शिक्षा व स्वास्थ्य कार्यक्रमों में स्त्रियों के लिए अलग कोष बनाया जाए।

4. मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को निर्धारित समय में पूरा किया जाए।

5. ज़मीन के पट्टों पर पति और पत्नी दोनों का नाम हो।

कानून-संबंधी सुझाव

1. वैवाहिक जीवन से बाहर यौन संबंध, एक पत्नी के रहते दूसरा ब्याह, वैश्यावृत्ति आदि से संबंधित कानूनों में बुनियादी बदलाव लाया जाए। बलात्कार संबंधी कानून में सुधार किया जाए।

2. हाल में सती-विरोधी कानून में हुए सुधार पर दोबारा सोच-विचार किया जाए और इसे आत्महत्या की दृष्टि से न देखा जाए।

3. सारे विवाहों का पंजीकरण जरूरी माना जाए।

4. पारिवारिक अदालतें कायम की जाएं।

5. श्रम-संबंधी कानूनों को लागू करने के लिए सरकारी कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया जाए।

6. सरकार कड़ी निगरानी रखे कि न्यूनतम मजदूरी कानून पूरी तरह लागू हो।

7. समान काम, समान आय कानून में स्त्रियों को बराबर काम के बजाए एक तरह का काम करने वाली स्त्रियों को पुरुषों के बराबर मजदूरी दी जाए।

8. मजदूरी संबंधित कानून लागू करने के लिए महिला संगठनों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों और महिला कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाए।

9. पारिवारिक संपत्ति में स्त्रियों का बराबर का अधिकार और ब्याह के बाद पति की संपत्ति में पूरी भागीदारी मानी जाए।

रोज़गार-संबंधी सुझाव

1. नई तकनीकें लागू करते समय खास ध्यान रखा जाए कि परंपरागत व ऐसे धंधों से जिनमें ज्यादा औरतें मजदूरी कर रही हैं उन्हें काम से न हटाया जाए।

2. बड़े सरकारी उद्योगों को छोटी और गैर-सरकारी इकाइयों के तौर पर बढ़ावा दिया जाए जिससे औरतों को ज्यादा रोज़गार मिल सकें।

3. अस्थाई, रोज़ाना मज़दूरी पर काम करने वाली, ठेके पर काम करने वाली मज़दूरिनों को काम दिलाने की गारंटी।

4. खेतिहर महिला मज़दूरों को रोज़गार दिलाने के लिए ग्राम विकास कार्यक्रमों में ध्यान दिया जाए और उनका काम हल्का करने के लिए उन्हें तकनीकी साधन मुहैया कराए जाएं और खाली समय के उपयोग के लिए रोज़गार दिलाए जाएं।

5. ट्रेनिंग कार्यक्रमों में महिलाओं को प्रशिक्षित कराया जाए। महिला पोलीटेकनीक और जिला स्तर पर तकनीकी कालिज खोले जाएं।

6. चौथे आय कमीशन के इस सुझाव से कि सिर्फ दो बच्चों के लिए मातृत्व की सुविधा दी जाए हम सहमत नहीं हैं। इससे माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य को भारी खतरा है। बच्चों की संख्या तय करने में ज्यादातर उनका हाथ नहीं होता, फिर सज़ा उन्हें क्यों। केंद्रीय मातृत्व कोष से इसके लिए धन निकाला जाए।

7. ज्यादा से ज्यादा औरतों को रोज़गार केंद्रों में पंजीकृत किया जाए। उनके आवेदन-पत्र भेजने में भेदभाव नहीं किया जाए। इसकी निगरानी के लिए महिला संगठनों और ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए।

8. सुझाव और सलाह समितियों में कम से कम 51 फी सदी ट्रेड यूनियनों और महिला संगठनों के प्रतिनिधि रखे जाएं।

9. काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए होस्टल और आवास की सुविधाएं दी जाएं। पारिवारिक महिला मुखियाओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखकर उनके बच्चों की देखभाल की सुविधाएं बढ़ाई जाएं।

शिक्षा-संबंधी सुझाव

1. मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पूरी तरह सफल बनाई जाए।

2. शिक्षा योजनाओं का 50 फी सदी भाग लड़कियों और महिलाओं पर खर्च किया जाए।

3. दिन का खाना मुफ्त, कापी-किताबें और अन्य सब सरकारी सहायता उन्हें मिल रही है या नहीं, यह देखने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

4. अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा के पूरक के रूप में तो काम कर सकती है, पर पूरी तरह उसका स्थान नहीं ले सकती।

स्वास्थ्य-संबंधी सुझाव

1. प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर अधिक धन खर्च किया जाए।

2. परिवार नियोजन कार्यक्रमों में स्त्रियों और पुरुषों को बराबरी से शामिल किया जाए। नियोजन के परीक्षणों या स्त्रियों को नुकसान पहुंचाने वाले तरीकों को स्त्रियों पर थोपा न जाए।

3. स्त्रियां स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भाग ले सकें, इसके लिए उनके बच्चों की देखभाल का प्रबंध किया जाए।

4. अनीमिया, टी.बी., कोढ़ आदि रोगों की नियमित जांच की जाए।

5. गांवों को चलते-फिरते चिकित्सालयों की सुविधा दी जाए।

6. रोग के लक्षणों की गैर-मौजूदगी में भ्रूण के लिंग की जांच की कड़ी मनाही।

7. जरूरतमंदों को कम कीमत पर दवाएं दिलाई जाएं।

8. साफ पानी, शौच व आवास सुविधाओं को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाए।

9. हर गांव में कम से कम एक प्रशिक्षित दाई रखी जाए।

□